

680/624/18

16/4/18



फार्म

\* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो योगेन्द्र सिंह पवार 2. वर्तमान धारित पद निज सहायक  
- 3. वर्तमान वेतन 59100/- मूल वेतन अगनी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई, 2018  
+ अन्य भत्ते

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा स्थिति		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो कलनाहवे कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वयं, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा वर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा बीरा	संपत्ति से आर्थिक लाभ	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला व तहसील होशंगाबाद (म.प्र.)	आवासीय मकान	-	23 लाख रु, लगभग	स्वयं के नाम पर	स्वयं आधार पर	"निरंक"	बैंक से भूठा तथा स्वयं की बचत से

\* जहां लागू न हो फाट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतनाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अचल सम्पत्ति) नियम, 1958 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर जस्तुल करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर योगेन्द्र सिंह पवार  
 नाम योगेन्द्र सिंह पवार  
 पद निज सहायक  
 मान. अध्यापक, म.प्र. विधानसभा